15 February, 2024

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

***संदर्भ:** कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा जारी के आंकड़ों के अनुसार, रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है, जो किसानों की सी2 प्लस 50 प्रतिशत मांग से अधिक है।*

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों की मांग से सी2 प्लस 50 प्रतिशत अधिक है।
- CACP की रिपोर्ट के अनुसार, रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित गेहूं का एमएसपी 2,275 रुपये प्रति क्विंटल है।
- किसानों ने लंबे समय से सी2 प्लस 50 प्रतिशत के बराबर कीमत की मांग की है, जहां सी2 उत्पादन की लागत का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसमें भुगतान की गई लागत, पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य, स्वामित्व वाली भूमि का किराया मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज भी शामिल होते हैं।
- पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्यों में, किसानों को उनकी मांग से अधिक कीमतें मिलने की उम्मीद है, जो भारत के गेहूं उत्पादन में लगभग 35 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- CACP की MSP सिफारिशें ए2+FL फार्मूले पर आधारित है, इसमें केवल किसानों द्वारा की गई भुगतान लागत शामिल होती है, जिसके परिणामस्वरूप सी2 की तुलना में एमएसपी कम होता है।
- सीएसीपी रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में गेहूं के लिए, उत्पादन की सी2 लागत पर रिटर्न 51.36 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो किसानों के लिए पर्याप्त लाभ मार्जिन का संकेत देता है।
- पंजाब में उच्च रिटर्न में योगदान देने वाले कारकों में राष्ट्रीय औसत और अनुमानित गेहूं की पैदावार तुलनात्मक रूप से अधिक है, जो इसे भारत के गेहूं उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- **परिभाषा:**
  - एमएसपी का तात्पर्य किसानों को उनकी उपज खरीदने पर सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली गारंटीकृत राशि से है।
- **CACP की भूमिका:**
  - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति की गतिशीलता, बाजार मूल्य रुझान और अंतर-फसल मूल्य समानता जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर MSP की सिफारिश करता है।
  - CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जिसकी स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी।
- **अंतिम निर्णय:**
  - प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) MSP के स्तर को मंजूरी देती है।
- **उद्देश्य:**
  - MSP का उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

CROPS COVERED UNDER MSP

KHARIF CROPS (14)	RABI CROPS (7)	CALENDAR YEAR CROPS (4)
1. Paddy	1. Wheat	1. Copra
2. Jawar	2. Barley	2. De-husked Coconut
3. Bajara	3. Gram	3. Jute
4. Ragi	4. Masur	4. Sugar Cane (FRP)
5. Maize	5. Rapeseed& Mustard	
6. Arhar	6. Safflower	
7. Moong	7. Torai	
8. Urad		
9. Cotton		
10. Ground Nuts		
11. Sunflower		
12. Soyabean		
13. Sesamum		
14. Nigerseed		

- CACP recommends MSP for 22 crops before the sowing period each year
- MSP derived for Toria based on MSP for Rapeseeds and Mustard and for De-husked Coconut on the Basis of MSP of Copra.
- Fair and Remunerative prices for Sugar is also declared

- **एमएसपी के अंतर्गत शामिल फसलें:**
  - CACP 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।
  - अनिवार्य फसलों में 14 ख़रीफ़ सीज़न की फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

उत्पादन लागत के तीन प्रकार

- **ए2:** इसमें किसानों द्वारा सीधे तौर पर खर्च की गई सभी भुगतान लागतें शामिल हैं, जिनमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए पर लिया गया श्रम, पट्टे पर दी गई भूमि, ईंधन और सिंचाई पर नकद और अन्य खर्च शामिल हैं।
- **A2+FL:** इसमें अवैतनिक पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य के साथ A2 लागत शामिल है।
- **सी2:** ए2+एफएल के अलावा, इसमें स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों के किराये और ब्याज को कवर करने वाली एक व्यापक लागत शामिल होती है।
- CACP, MSP की सिफारिश करते समय ए2+एफएल और सी2 दोनों लागतों पर विचार करता है, लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी इन लागतों को कवर करने के लिए मुख्य रूप से बेंचमार्क संदर्भ लागत के रूप में सी2 लागत का उपयोग करता है।

रिटर्न के लिए विचार:

- सीएसीपी ए2+एफएल लागत के आधार पर रिटर्न की गणना करता है, जबकि सी2 लागत बेंचमार्क संदर्भ लागत (अवसर लागत) के रूप में काम करती है; ताकि यह आकलन किया जा सके कि अनुशंसित एमएसपी प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन लागत को कवर करता है या नहीं।

प्रवासी पशु-प्रजातियों के संरक्षण का प्रस्ताव

***संदर्भ:** पशु प्रवासन पर मसौदा निर्णय; विगत 13 फरवरी को जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (सीओपी14) के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए थे।*

COP14 में EU द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्टिंग में संशोधन:

- यूरोपीय संघ ने समरकंद में आयोजित जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (COP14) के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इस सम्मेलन में उज़्बेकिस्तान ने, रिपोर्टिंग दबाव पर सबका ध्यान आकर्षित किया।

पशु प्रवासन संबंधी एटलस निर्माण:

- COP11 में मध्य एशियाई क्षेत्र में प्रवासी स्तनधारियों के लिए पशु प्रवास और यूरेशियन-अफ्रीकी क्षेत्र में पक्षियों के प्रवास पर एक एटलस का निर्माण किया जाना शामिल था।
- इसका उद्देश्य प्रवासन पैटर्न में ऐतिहासिक बदलाव और मनुष्यों द्वारा पक्षियों की जानबूझकर हत्या को चिन्हित करना है।
- इसमें शिकार की गई प्रजातियों के प्रवासन के मौसम को समझकर यूरोपीय-अफ्रीकी प्रवासन प्रणाली के साथ प्रवासन कनेक्टिविटी स्थापित करना शामिल है।

प्रवासन पैटर्न की पहचान के लिए मानचित्रण का महत्व:

- प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान करने और प्रवासन पैटर्न को समझने के लिए सटीक मानचित्रण की आवश्यकता होती है।
- यह मानचित्रण सम्मेलन के उद्देश्यों और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जैसी वैश्विक नीति प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में मदद करता है।

एटलस मॉड्यूल के उपयोग के लिए प्रोत्साहन:

- इस सम्मेलन में भागीदार पार्टियों को नीतियों, निर्णय लेने और प्रबंधन में पशु प्रवासन पर एटलस के मौजूदा मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- संबंधित सचिवालय को चल रहे मॉड्यूल को और अत्यधिक विकसित करने तथा मौजूदा मॉड्यूल के ज्ञान और उपयोग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।
- साथ ही मौजूदा मॉड्यूल को अद्यतन करने और उनकी उपयोगिता में सुधार करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया।
- इसके अतिरिक्त संबंधित सचिवालय ने वैज्ञानिक परिषद और वैश्विक डेटाबेस के माध्यम से अतिरिक्त मॉड्यूल विकसित करने और एटलस के विभिन्न मॉड्यूल की उपलब्धता में सुधार के लिए विकल्प तलाशने का निर्देश दिया।

मत्स्य पालन में सीबर्ड दुर्व्यवहार और विकृति पर मसौदा निर्णय:

- COP14 ने मत्स्य पालन में समुद्री पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार और विकृति पर भी कई निर्णय लिए।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- समुद्री पक्षियों की आबादी को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर की इसके लिए सीमा से लगे पक्षकारों को मत्स्य पालन प्रबंधन एजेंसियों के साथ काम करने का निर्देश दिया गया।
- सभी भागीदार सदस्यों को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में संकटग्रस्त और जोखिम वाली प्रवासी प्रजातियों को और अधिक नुकसान से बचाने और सूचित करने का निर्देश दिया गया।

प्रवासी प्रजातियों की स्थिति; 2024 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- इस रिपोर्ट में जैविक कचरों की पहचान अत्यधिक दोहन वाले कारकों में से एक के रूप में की गई है, जो समुद्री पक्षियों, विशेषकर अल्बाट्रॉस और पेट्रेल के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- मत्स्य पालन के दौरान जाल में फंसने से हजारों समुद्री पक्षियों के मारे जाने का भी अनुमान है।
- अकेले भूमध्यसागरीय क्षेत्र में लगभग 11 मिलियन से 36 मिलियन पक्षियों को अवैध रूप से मारे जाने का दावा किया गया है। साथ ही अरब प्रायद्वीप, ईरान और इराक में 1.7 से 4.6 मिलियन पक्षियों के मारे जाने का अनुमान है।

जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS):

- सीएमएस, जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत संचालित एक पर्यावरण संधि है।
- इसे 23 जून 1979 को बॉन, जर्मनी में हस्ताक्षरित किये गये थे।
- यह प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह एकमात्र वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र-आधारित अंतरसरकारी संगठन जो विशेष रूप से स्थलीय, जलीय और पक्षी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए समर्पित है।
- इस सम्मेलन में भाग लेने वाले पक्ष/सदस्य प्रवासी प्रजातियों, विशेष रूप से प्रतिकूल संरक्षण स्थितियों वाली प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध होते हैं।
- सीएमएस पक्षकारों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ कानूनी रूप से बाध्यकारी संधियों (समझौते) से लेकर कम औपचारिक उपकरणों, जैसे समझौता ज्ञापन तक हो सकती हैं।
- इन पार्टियों का सम्मेलन पक्षकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय संबंधी एक निकाय के रूप में कार्य करता है।

सीएमएस परिशिष्ट:

- सीएमएस में दो परिशिष्ट हैं, जो कन्वेंशन द्वारा शामिल की गई सभी प्रवासी प्रजातियों की सूची बनाते हैं।
- परिशिष्ट I में लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियाँ शामिल हैं और उनके कहीं अन्यत्र ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- परिशिष्ट II प्रतिकूल संरक्षण स्थिति वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है और संबंधित राज्यों को उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए रेंज-वाइड समझौते विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

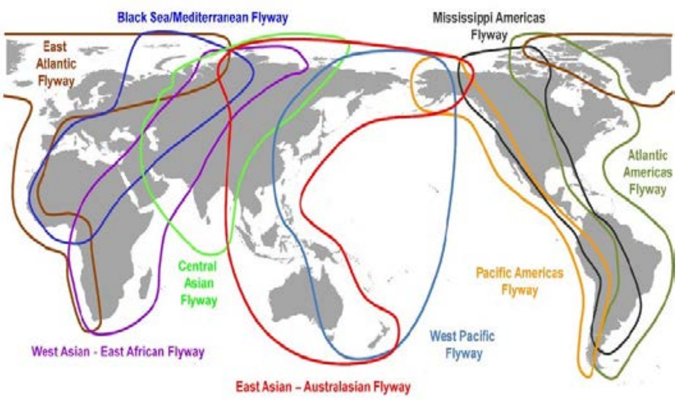

सीएमएस के साथ भारत का संबंध:

- भारत 1983 से सीएमएस का एक पक्षकार देश रहा है।
- इसके अतिरिक्त, भारत ने साइबेरियाई क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुगोंग (2008), और रैप्टर (2016) के संरक्षण और प्रबंधन पर सीएमएस के साथ गैर-कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

कार्ड-आधारित वाणिज्यिक भुगतान पर रोक

संदर्भ: *पेटीएम के खिलाफ नियामक कार्रवाई के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कार्ड नेटवर्क वीज़ा और मास्टरकार्ड को भुगतान सेवा प्रदाताओं और कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्ड-आधारित वाणिज्यिक भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।*

कार्ड-आधारित वाणिज्यिक भुगतान पर आरबीआई के निर्देश:

- आरबीआई ने कार्ड नेटवर्क वीज़ा और मास्टरकार्ड को भुगतान सेवा प्रदाताओं और कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्ड-आधारित वाणिज्यिक भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

निर्देश के कारण:

- हालांकि आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर निर्देश के कारणों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस क्षेत्र की फिनटेक कंपनियों का सुझाव है कि ऐसे लेनदेन अनधिकृत आउटलेट्स पर किए जा रहे हैं।
- कई फिनटेक कंपनियां कथित तौर पर कार्ड से भुगतान स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं होने के बावजूद ग्राहकों को ट्यूशन फीस और किराये जैसे भुगतान के लिए अपने कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दे रही हैं। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार, यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का उल्लंघन हो सकता है।

वीज़ा से फिनटेक तक संचार:

- इस संदर्भ में वीज़ा ने फिनटेक को सूचित किया है और उनसे अगली सूचना तक सभी बिजनेस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (बीपीएसपी) लेनदेन को निलंबित करने का अनुरोध किया है।
- साथ ही साथ वीज़ा ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण वीज़ा नियमों में नियामक प्रतिबंध और गैर-अनुपालन हावी हो सकता है।

आरबीआई की नियामक प्रवृत्ति:

- वर्तमान में आरबीआई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि फिनटेक कंपनियाँ और सेवा प्रदाता; एक नियामक ढांचे के भीतर काम करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी या अनधिकृत लेनदेन पर रोक लगाएं।
- यद्यपि इसमें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) अनुपालन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक सभी डिजिटल लेनदेन के लिए पूर्ण केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना चाहता है।
- **पिछली नियामक कार्रवाई का प्रभाव:**
  - 31 जनवरी को, आरबीआई ने विभिन्न केवाईसी और अन्य मुद्दों का हवाला देते हुए पेटीएम को खातों और वॉलेट सहित अपनी मुख्य सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया।

कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क:

- कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क एक वित्तीय संगठन है जो कार्ड-आधारित भुगतान संसाधित करने में सहायता करता है।
- सामान्य कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क में मास्टरकार्ड, वीज़ा, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस (AmEx), और यूनियन पे आदि शामिल हैं।
- ये नेटवर्क डिजिटल भुगतान के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते हैं और कार्ड लेनदेन को स्वीकार करने, अधिकृत करने, सत्यापित करने और अनुमोदन करने के लिए नियम निर्धारित करते हैं।
- ये रेलवे कंपनियों की तरह कार्य करती हैं जो आवश्यक क्षेत्र का विस्तार कर प्रबंधन कर रही हैं, नियम तय कर रही हैं और वाणिज्य में व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं।
- पहले, विभिन्न नेटवर्क से भुगतान स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब, कार्ड के उपयोग में वृद्धि के साथ, अधिकांश व्यापारी प्रमुख भुगतान नेटवर्क का समर्थन करते हैं।
- कार्ड जारीकर्ता, अक्सर एयरलाइंस या खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारी में, इन नेटवर्कों के सहयोग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और उपहार कार्ड सहित हजारों कार्ड उत्पाद बनाते हैं।
- वीज़ा, मास्टरकार्ड, डिस्कवर और एएमईएक्स पीसीआई सुरक्षा मानक परिषद (एसएससी) बनाते हैं, जो कार्डधारक की जानकारी की सुरक्षा के लिए मानकों को विनियमित और लागू करते हैं।
- ये नेटवर्क कार्डधारकों के लिए एक सुरक्षित प्रसंस्करण वातावरण सुनिश्चित करते हैं, व्यक्तिगत और डिजिटल भुगतान दोनों की सुरक्षा पर जोर देते हैं।
- ये न केवल भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि कार्ड से भुगतान स्वीकार करते समय व्यापारियों के लिए पालन करने के लिए नियम और अनिवार्य आवश्यकताएं भी स्थापित करते हैं।

कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क (सीपीएन) कैसे काम करता है?

- वित्तीय लेन-देन पूरा करने में कई चरण शामिल होते हैं और इसमें कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क और भुगतान सेवा प्रदाताओं की सहायता की आवश्यकता होती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- व्यक्तिगत कार्ड भुगतान भौतिक पीओएस सिस्टम का उपयोग करते हैं, जबकि डिजिटल भुगतान भुगतान गेटवे का उपयोग करते हैं।
- भुगतान प्रोसेसर व्यापारियों को कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क से जोड़ते हैं, जबकि भुगतान गेटवे कार्डधारकों और व्यापारियों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं।
- वित्तीय लेन-देन सफल होने के लिए लेन-देन प्रक्रिया में प्रत्येक भागीदार को इसे अनुमोदित करना अनिवार्य होता है।
- जब कोई ग्राहक खरीदारी करता है, तो भुगतान अनुरोध उनके कार्ड जारीकर्ता के पास जाता है, जो इसे प्रोसेसिंग नेटवर्क, फिर अधिग्रहणकर्ता बैंक और फिर जारीकर्ता को भेजता है।
- जारीकर्ता बैंक कार्ड से जुड़े खाते प्रदान करते हैं और प्राधिकरण और सुरक्षा मानकों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- अधिग्रहण करने वाले बैंक जारीकर्ता बैंकों से भुगतान प्राप्त करते हैं और उन्हें व्यापारियों के खातों में स्थानांतरित करते हैं।
- वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे खुले नेटवर्क में, बैंक और प्रोसेसर आकार और संरचना में भिन्न होते हैं, जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बंद नेटवर्क में सभी संस्थाएँ एक ब्रांड के अंतर्गत होती हैं।
- व्यापारियों को ग्राहक अनुभव को अनुकूलित करने के लिए समझदारी से नेटवर्क चुनना चाहिए।
- वित्तीय लेनदेन-प्रवाह में भुगतान प्रमाणीकरण, लेनदेन सबमिशन, प्राधिकरण अनुरोध, प्राधिकरण प्रतिक्रिया और व्यापारी भुगतान जैसे चरण शामिल होते हैं।

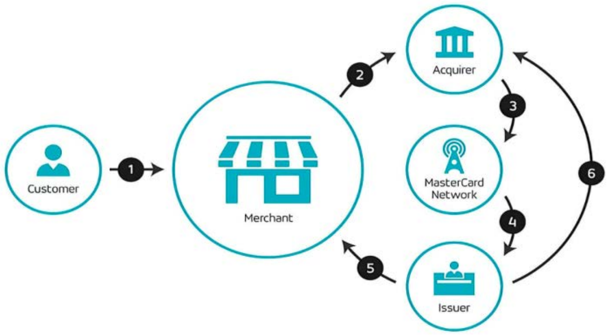

NEWS IN BETWEEN THE LINES

बाप्स मंदिर

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने मानवता की साझी विरासत के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण बताया।

बाप्स मंदिर के बारे में:

- अबू धाबी में बाप्स मंदिर का निर्माण बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) द्वारा किया गया था, जो हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय का एक हिस्सा है।
- मंदिर अबू मुरेइखाह में 27 एकड़ के भूखंड पर स्थित है, जो अल रहबा के पास है।
- मंदिर के भीतर भारत के विभिन्न क्षेत्रों के देवताओं को दर्शाया गया है, जिनमें राम, सीता, शिव, पार्वती आदि शामिल हैं।
- यह मंदिर सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए माया, एज़्टेक, मिस्र, अरब, यूरोपीय, चीनी और अफ्रीकी संस्कृतियों के तत्वों को प्रदर्शित करता है।
- बाप्स दुनिया भर में 1,550 मंदिरों और 3,850 केंद्रों का वैश्विक नेटवर्क संचालित करता है, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।

ई-जागृति पोर्टल

हाल ही में, उपभोक्ता मामलों के सचिव ने इस बताया कि "ई-जागृति" पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने से उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलेगी।

ई-जागृति पोर्टल के बारे में:

- "ई-जागृति" पोर्टल उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक पहल है।
- यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक समर्पित पोर्टल के रूप में कार्य करता है, जिससे उपभोक्ता विवादों और शिकायतों के समाधान की सुविधा मिलती है।
- यह पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और कुशल विवाद समाधान तंत्र प्रदान करके समग्र ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह सभी स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए एक सरल, तेज और लागत प्रभावी सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता शिकायत मंचों को एकीकृत करना है, जिनमें ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम (OCMS), E-Daakhil, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) केस मॉनिटरिंग सिस्टम, CONFONET वेबसाइट और मध्यस्थता एप्लिकेशन शामिल हैं।

अमेरिकी हॉर्सशू क्रैब

हाल ही में, पर्यावरण समूहों, जिनमें सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी शामिल है ने लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) को अमेरिकी हॉर्सशू क्रैब के संरक्षण के लिए याचिका दायर की है।

अमेरिकी हॉर्सशू क्रैब के बारे में:

- अमेरिकी हॉर्सशू क्रैब (Limulus polyphemus) एक समुद्री आर्थ्रोपोड है, यह असली केकड़ा नहीं है, बल्कि एक्सिफोसुरा गण (Xiphosura) से संबंधित है।
- इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं - घोड़े की नाल के आकार का खोल, नुकीली पूंछ और तांबायुक्त हेमोसायनिन युक्त नीला खून।
- इसे "जीवित जीवाश्म" माना जाता है, जिसके पूर्वजों का इतिहास 450 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है जो इसे पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक बनाता है।
- दवा कंपनियां टेस्टिंग दवाओं और मेडिकल उपकरणों में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थक्का बनाने वाले एजेंट के लिए इनके नीले रंग के खून का उपयोग करती हैं।
- हालांकि नियम केवल आंशिक रक्त निष्कर्षण और रिलीज की अनुमति देते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान 10-15% एक्सिफोसुरा गण मर जाते हैं।
- इसकी कमी का प्रवासी तटीय पक्षियों जैसे रूफा रेड नॉट (2014 में खतरे वाली प्रजातियों की सूची में शामिल) के लिए नकारात्मक परिणाम हैं, जो प्रवास के दौरान भोजन के लिए एक्सिफोसुरा गण के अंडों पर निर्भर करते हैं।

कभी अमेरिका के मध्य-अटलांटिक और खाड़ी तटों पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एक्सिफोसुरा गण की आबादी में भारी गिरावट आई है, 1990 के बाद से डेलावेयर बे मुहाना में अंडे देने वाली संख्या में दो-तिहाई की कमी आई है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

अलास्कापॉक्स वायरस

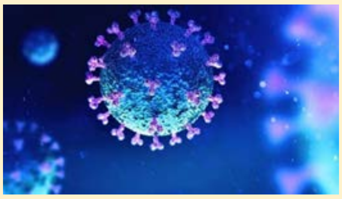

हाल ही में, स्वास्थ्य अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अलास्का के सुदूर केनाई प्रायद्वीप के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हाल ही में खोजे गए अलास्कापॉक्स वायरस से हुई है।

अलास्कापॉक्स वायरस के बारे में:

- अलास्कापॉक्स वायरस एक जटिल आंतरिक संरचना वाला ईंट के आकार का वायरस है जिसे पहली बार 2015 में अमेरिका के अलास्का में पहचाना गया था।
- यह ऑर्थोपॉक्सविरस जीनस से संबंधित है जिसमें चेचक, मंकीपॉक्स और काउपॉक्स जैसे वायरस शामिल हैं।
- यह मुख्य रूप से लाल पीठ वाले खेत-चूहों और चूहे जैसी छोटे स्तनधारियों को प्रभावित करता है।
- अलास्कापॉक्स के लक्षणों में दाने, सूजे हुए लिम्फ नोड्स और जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं।
- यह अनुमान लगाया जाता है कि यह एक जूनोटिक वायरस है, जो संभवतः छोटे स्तनधारियों से मनुष्यों में फैलता है।

सुर्खियों में स्थल

मडागास्कर

हाल ही में, दुबई 2024 में आयोजित विश्व सरकारों के शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री मडागास्कर गणराज्य के राष्ट्रपति से मिले।

मडागास्कर (राजधानी: अंटानानारिवो)

स्थान: मडागास्कर, अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट से दूर स्थित एक द्वीपीय देश है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश (इंडोनेशिया के बाद) और दुनिया का 44वां सबसे बड़ा देश है।

सीमाएँ: मडागास्कर सभी तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है, सिवाय इसकी पश्चिमी सीमा के, जो मोजाम्बिक चैनल के साथ स्थित है।

भौतिक विशेषताएँ:

- द्वीप का उच्चतम बिंदु त्सारातनाना मासिफ में स्थित मारोमोकोत्रो शिखर है।
- द्वीप में कई नदियाँ हैं, जिनमें बेत्सिबोका, मंगोकी और ओनिलाई नदियाँ शामिल हैं, जो मध्य हाइलैंड्स से तट तक बहती हैं।
- मडागास्कर में कई निष्क्रिय और सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें मध्य हाइलैंड्स में माउंट अंकरात्रा और माउंट त्सियाफाजावोना शामिल हैं।
- मडागास्कर विभिन्न प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय मानसून और अर्ध-शुष्क जलवायु शामिल हैं।

POINTS TO PONDER

- हाल ही में ओडिशा ने किस क्षेत्र को चौथा जैव-विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) घोषित किया है? **- कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन**
- हाल ही में असम सरकार ने किस फल को 'राज्य फल' घोषित किया है? **- काजी नेमु**
- प्राचीन भारत में पोलो का मूल नाम क्या था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी? **- सागोल कांगजेई**
- ENIAC दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल कंप्यूटर था। इसे 15 फरवरी, 1946 को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय को समर्पित किया गया था। ENIAC का क्या अर्थ है? **- इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर**
- हाल ही में 'स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' पायलट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? **- पंचायती राज मंत्रालय**

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com